2012:CGHC:10369

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर)

<u>दाण्डिक अपील क्र. 1736/1995</u>

अपीलार्थीगण : प्रहलाद राव एवं अन्य

<u>विरुद्ध</u>

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दाण्डिक अपील क्र. 1766/1995</u>

अपीलार्थी : रवींद्र राव भोंसले

<u>विरुद्ध</u>

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य

उपस्थिति: अपीलार्थीगण की ओर से श्री अरुण कोचर, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से श्री वैभव गोवर्धन, पैनल अधिवक्ता।

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत प्रस्तुत दाण्डिक अपीलें।</u>

2012:CGHC:10369

निर्णय

(25.01.2012)

1. चूंकि ये दोनों अपीलें अपर सत्र न्यायाधीश बिलासपुर द्वारा सत्र विचरण क्र. 323/1993 में पारित उसी निर्णय दिनांक 14.12.1995 से उद्भूत हुई हैं, जिसमें दाण्डिक अपील क्र. 1736/95 के अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, जबकि दाण्डिक अपील क्र. 1766/95 के अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अंतर्गत दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, अतः इनका निराकरण इस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मृतक सुषमा का विवाह मई 1992 में अभियुक्त रवींद्र राव भोंसले के साथ संपन्न हुआ था। दिनांक 27.4.93 को जब वह दूध उबाल रही थी, उक्त अभियुक्त ने "जाओ और मर जाओ" कहते हुए उसे चूल्हे की ओर धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह 90-100% जल गई और दिनांक 29.4.93 को रात्रि 8.00 बजे अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। उसके अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद, डॉ. विनय गुप्ता (अभि.सा.-8) द्वारा दिनांक 27.4.93 को पुलिस को मृतका का मृत्युकालिक

कथन दर्ज करने हेतु मेमो प्रदर्श पी-9 भेजा गया और तदनुसार प्रदर्श पी-4 के माध्यम से अर्जुन सिंह सिसोदिया (अभि.सा.-5), नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.4.93 को इसे दर्ज किया गया और इसके पश्चात दिनांक 29.4.93 को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। प्रदर्श पी-3 के अनुसार मृतका के शरीर का शव परीक्षण डॉ. पी.सी. गुप्ता (अभि.सा.-4) द्वारा से किया गया था। मर्ग (प्रदर्श पी-3) दिनांक 29.4.93 को दर्ज किया गया था और मर्ग जांच के बाद उसी दिन प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-19) पंजीकृत की गई थी। विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, पुलिस द्वारा दिनांक 23.7.93 को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख/34 के अपराध के लिए अभियोजन प्रस्तुत किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने हेतु, अभियोजन पक्ष ने 10 साक्षियों की परीक्षा कराई । अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता तथा प्रकरण में झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष के समर्थन में एक साक्षी जय किशन शर्मा (बचा.सा.-1) की भी परीक्षा कराई गई है।

4. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के पश्चात, विचारण न्यायालय ने दाण्डिक अपील क्र. 1736/95 के अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को धारा 304-ख भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, परंतु उन्हें धारा 498-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध और दंडित किया।यद्यपि, दाण्डिक अपील क्र. 1766/95 के अभियुक्त/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 304-ख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध और दंडित किया गया है। अतः, यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों अपीलों में अभियुक्तों/अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि मृतका के मृत्युकालिक कथन पर आधारित है, जिसे विधि के अनुसार दर्ज नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि जिस चिकित्सक ने मृतका को मृत्युकालिक कथन देने हेतु स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र दिया था, उसकी न्यायालय में परीक्षा नहीं कराई गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने हेतु नायब तहसीलदार को सूचना दिनांक 27.4.1993 को भेजी गई थी, जबकि इसे दिनांक 28.4.1993 को दर्ज किया गया था और यह विलंब अभियोजन पक्ष के प्रकरण के लिए घातक है। उनका तर्क है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने की सूचना भेजने, इसे दर्ज करने की तिथि और इस संबंध में पुष्टि के

बारे में साक्षियों के कथनों में विसंगतियां हैं। उनका तर्क है कि मृत्युकालिक कथन से स्पष्ट होता है कि यह पुलिस द्वारा फर्जी रूप से गढ़ा गया एक दस्तावेज मात्र है क्योंकि मृतका 90-100% जल चुकी थी और ऐसी परिस्थितियों में उसके लिए ऐसा विस्तृत मृत्युकालिक कथन देना संभव नहीं था। उनका आगे यह भी तर्क है कि दाण्डिक अपील क्र. 1736/1995 के अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं और उनके विरुद्ध किसी विधिक रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में ऐसे आरोपों के आधार पर उन्हें धारा 498-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय मृतका के रिश्तेदार भी उपस्थित थे और इसलिए संपूर्ण मृत्युकालिक कथन अपना महत्व खो देता है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी रवींद्र राव भोंसले का आचरण, जहां घटना के तुरंत बाद उसने स्वयं मृतका पर कंबल डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और उसे अस्पताल ले गया, यह दर्शाता है कि उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए सभी प्रयास किए। दाण्डिक अपील क्र. 1736/1995 के अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के संबंध में उनका तर्क है कि उस प्रासंगिक समय पर वे सभी एक अलग गांव में अलग रह रहे थे और इसलिए उन्हें धारा 498-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनका तर्क है कि एक बार जब दाण्डिक अपील क्र. 1736/1995 के अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध लगाए गए धारा 304-ख भारतीय दंड संहिता के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया है, तो उन्हें धारा 498-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध क्रूरता स्थापित नहीं की गई है। अपने तर्कों के समर्थन में, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने **'महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध संजय डी. राजहंस' एआईआर 2005 एससी 97**, **'मुनीर खान विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य' (2002) 9 एससीसी 523** और **'गणनाथ पटनायक विरुद्ध उड़ीसा राज्य' (2002) 2 एससीसी 619** के प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का भी अवलंब लिया है। अंत में उन्होंने तर्क दिया है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण प्रहलाद पहले ही 11 महीने और 09 दिन, अभियुक्त/अपीलार्थी गोदावरी बाई लगभग 10 महीने, अपीलार्थी विजय लगभग 01 वर्ष और 03 महीने कारावास में व्यतीत कर चुके हैं, जबकि अपीलार्थी निशा पवार पूरे समय अग्रिम जमानत पर थी और यदि यह न्यायालय धारा 498-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि को कायम रखता है, तो अपीलार्थी प्रहलाद, गोदावरी बाई और विजय पर अधिरोपित दण्ड को उनके द्वारा पहले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से भुक्त दण्डावधि तक कम किया जा सकता है। अपीलार्थी निशा पवार के संबंध में, उनका निवेदःन है कि वह एक विवाहित महिला है, उसे कारावास न भेजा जाए। अभियुक्त/अपीलार्थी रवींद्र राव भोंसले के संबंध में अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का निवेदन है कि चूंकि वह पहले ही लगभग 03 वर्ष कारावास में रह चुका है, इसलिए उसके दण्ड को भी उसके द्वारा पहले से भोगी जा चुकी दण्डावधि तक कम किया जा सकता है।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता का तर्क है कि डॉ. विनय गुप्ता (अभि.सा.-8), जिन्होंने अस्पताल में पहले मृतका का उपचार किया और फिर मृत्युकालिक कथन पर पृष्ठांकन करते हुए स्वस्थता प्रमाणपत्र जारी किया, ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि वह मृत्युकालिक कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति में थी। उनका तर्क है कि अर्जुन सिंह सिसोदिया - नायब तहसीलदार (अभि.सा.-5) द्वारा दर्ज किए गए मृत्युकालिक कथन का उनके द्वारा विधि के अनुसार सम्यक रूप से समर्थन किया गया है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने से पहले और बाद में चिकित्सक ने उसकी उपस्थिति में पीड़िता की जांच की थी और अभिमत दिया था कि वह मृत्युकालिक कथन देने के लिए स्वस्थ मनःस्थिति में थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उनका तर्क है कि मृत्युकालिक कथन में मृतका ने सभी अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए थे और उनके नाम का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया था कि उनके द्वारा उसके साथ किस तरह की क्रूरता की गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि गणपत राव भोंसले (अभि.सा.-1) - मृतका के पिता और मैया बाई (अभि.सा.-3) मृतका की माता ने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि मृतका का अपीलार्थी रवींद्र राव भोंसले के साथ विवाह वर्ष 1992 में संपन्न हुआ था और एक वर्ष से भी कम समय में अपीलार्थी रवींद्र राव भोंसले द्वारा कारित दाह उपहति के कारण उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के प्रति कोई उदारता नहीं दिखाई जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. मृतका के पिता गणपत राव भोंसले (अभि.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण प्रहलाद राव, गोदावरी बाई, निशा पवार, विजय और रवींद्र भोंसले क्रमशः मृतका के ससुर, सास, ननद, देवर और पति हैं। इस साक्षी के अनुसार, मृतका का विवाह अपीलार्थी रवींद्र भोंसले के साथ दिनांक 4.5.1992 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। उन्होंने आगे कथन किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी रवींद्र राव भोंसले पुलिस विभाग में आरक्षक के रूप में कार्यरत थे, जो मृतका के साथ किराए के मकान में

रह रहे थे, जहां अभियुक्त/अपीलार्थी हर 2-4 दिनों में उनसे मिलने आते थे। उन्होंने आगे कथन किया है कि मृतका की मृत्यु दिनांक 27.4.2003 को दाह उपहति के कारण हुई थी और उस दिन सुबह लगभग 10.30 बजे जब वह अपने कार्यालय में थे, तब एक लड़का जिसका नाम वह नहीं जानते थे, उनके पास आया और सूचना दी कि उनकी बेटी जल गई है और अस्पताल में भर्ती है। जब वह अस्पताल गए, तो उनकी बेटी बुरी तरह जली हुई अवस्था में तड़प रही थी। पूछने पर उसने उन्हें बताया कि जब वह दूध उबाल रही थी, तब उसका पति वहां आया, उसे पीटना शुरू कर दिया, उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया और "जाओ और मर जाओ" कहते हुए उसे चूल्हे की ओर धकेल दिया और फिर बाहर से दरवाजा बंद करके वह अपनी 7 महीने की बेटी को लेकर कमरे से चला गया, जो घटना के समय वहीं थी। इस साक्षी के अनुसार, प्रासंगिक समय पर अभियुक्त रवींद्र राव भोंसले नशे की स्थिति में था। इस साक्षी ने आगे बताया है कि विवाह में उसने स्कूटर सहित पर्याप्त सामान दिया था। उन्होंने आगे कथन किया है कि विवाह के बाद जब भी मृतका उसके घर आती थी, वह बताती थी कि अभियुक्त/अपीलार्थीगण 10,000/- रुपये की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा दिया गया स्कूटर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2012:CGHC:10369

4000/- रुपये में गिरवी रख दिया गया था और जब भी मृतका ने उसे वापस लेने के लिए कहा, तो उसने उसके साथ मारपीट की। इस साक्षी ने आगे कई अन्य उदाहरण दिए हैं कि मृतका के पति रवींद्र राव भोंसले द्वारा उसके साथ किस तरह की क्रूरता की गई थी। प्रतिपरीक्षण में यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में कही गई बातों पर अडिग रहा। नवल सिंह ठाकुर (अभि.सा.-2) मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी-1 का साक्षी है। मृतका की माता मैया बाई (अभि.सा.-3) ने लगभग वही कथन किया है जो उसके पति (अभि.सा.-1) ने कही थीं, जिसमें बताया गया था कि अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा मृतका के साथ किस तरह की क्रूरता की गई थी। डॉ. पी.सी. गुप्ता (अभि.सा.-4) वह साक्षी है, जिन्होंने प्रदर्श पी-3 के अनुसार, मृतका का शव परीक्षण किया था और अभिमत दिया था कि मृतका 95% जल गई थी। नायब तहसीलदार अर्जुन सिंह सिसोदिया (अभि.सा.-5) वह साक्षी है जिन्होंने प्रदर्श पी-4 के माध्यम से मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया था। मृत्युकालिक कथन किस प्रकार दर्ज किया गया था, इस संबंध में उन्होंने कथन किया है। उनके अनुसार, मृत्युकालिक कथन दर्ज करने से पहले, मृतका की जांच डॉ. विनय गुप्ता (अभि.सा.-8) द्वारा की गई थी, जिन्होंने इस आशय का प्रमाणपत्र जारी किया था कि वह मृत्युकालिक कथन देने के लिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2012:CGHC:10369

स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी। डॉ. नीलिमा घाटगे (अभि.सा.-6) वह साक्षी है जिन्होंने अस्पताल में मृतका का उपचार किया था। उन्होंने कथन किया है कि जब मृतका को अस्पताल लाया गया, तो उसके शरीर और कपड़ों से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी। इस साक्षी द्वारा दी गई प्रतिवेदन प्रदर्श पी-5 है। डॉ. बी.एल. पांडे (अभि.सा.-7) वह साक्षी है जिसने प्रदर्श पी-6 के माध्यम से कुछ सामग्रियों की जब्ती की थी। डॉ. विनय गुप्ता (अभि.सा.-8) वह साक्षी है जिन्होंने कथन किया है कि मृतका ने उन्हें बताया था कि परीक्षण से आधा घंटा पहले वह जल गई थी। उनके अनुसार, मृतका के शरीर से मिट्टी के तेल की गंध आ रही थी और उस समय वह पूरी तरह होश में थी। प्रदर्श पी-9 के माध्यम से इस साक्षी ने मृतका का मृत्युकालिक कथन दर्ज करने का अनुरोध भी किया था। प्रदर्श पी-9 से यह स्पष्ट है कि इस साक्षी ने बहुत विशेष रूप से उल्लेख किया है कि "वह वर्तमान में कथन देने के लिए स्वस्थ है। कृपया मृत्युकालिक कथन के लिए भी व्यवस्था करें।" यह उल्लेखनीय है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करते समय मृतका की शारीरिक या मानसिक स्थिति के संबंध में इस साक्षी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। एन.एल. धृतलहरे (अभि.सा.-9) विवेचना अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन किया है। जे.एस. भदौरिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2012:CGHC:10369

(अभि.सा.-10) वह साक्षी है जिसने प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-19 दर्ज की थी और फिर आगे की विवेचना के लिए मामला एन.एल. धृतलहरे (अभि.सा.-9) को सौंप दिया था। जय किशन शर्मा (बचा.सा.-1) ने कथन किया है कि घटना के दिन जब वह अपने घर की दहलीज पर बैठा था, तब अभियुक्त रवींद्र राव भोंसले भी अपनी बेटी को गोद में लिए वहां खड़ा था। तत्पश्चात, चीखें सुनकर और अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के घर में आग देखकर जब वह वहां गया, तो उसने पाया कि मृतका जल रही थी। फिर उसने कंबल डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और फिर अभियुक्त रवींद्र के निर्देशानुसार वह मृतका के मायके गया और उसके माता-पिता को घटना की सूचना दी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. वर्तमान प्रकरण में मृतका के माता-पिता गणपत राव भोंसले (अभि.सा.-1), मैया बाई (अभि.सा.-3) के मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, जिन्होंने स्पष्ट रूप से अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतका के साथ अभियुक्तों/अपीलार्थीगण द्वारा क्रूरता की गई थी, साक्ष्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मृतका का मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-4 है, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दिनांक 27.4.1993 को जब वह अपने घर में दूध उबाल रही थी, उसका पति (अपीलार्थी रवींद्र राव भोंसले) वहां पहुंचा, उसे पीटना शुरू कर दिया

और "जाओ और मर जाओ" कहते हुए उसे चूल्हे की ओर धकेल दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गई और उसकी साड़ी तथा ब्लाउज में आग लग गई, उसकी चीखें सुनकर उसके पड़ोसी वहां आए और आग बुझाने का प्रयास किया तथा उसके पति ने भी उस पर कंबल डाला। उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि विवाह के बाद उसके ससुर, सास, ननद और देवर (दाण्डिक अपील क्र. 1736/1995 के अपीलार्थीगण) द्वारा उसके साथ क्रूरता की गई थी। उसने आगे कथन किया है कि विवाह के समय उसके पिता द्वारा दिया गया स्कूटर उसके पति द्वारा गिरवी रख दिया गया था और उसकी सास तथा ससुर पैसों की मांग करते थे। उसने अपने मृत्युकालिक कथन में सभी अभियुक्तों/अपीलार्थीगण का नाम लेते हुए उनके विरुद्ध क्रूरता के आरोप लगाए हैं। मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-4 में चिकित्सक का पृष्ठांकन भी परिलक्षित होता है जिसमें कथन किया गया है कि उस समय मृतका बयान देने के लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति में थी। मृत्युकालिक कथन का नायब तहसीलदार (अभि.सा.-5) और चिकित्सक (अभि.सा.-8) द्वारा विधिवत समर्थन किया गया है। इस प्रकार इस न्यायालय के पास मृतका के मृत्युकालिक कथन और साक्षियों के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह सुविचारित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को उपर्युक्त वर्णित अनुसार दोषी ठहराने के निष्कर्ष साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित हैं और इसलिए वे इस अपील में किसी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णय जिनका अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अवलंब लिया है, पूरी तरह से भिन्न आधार पर होने के कारण यहां अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के लिए किसी प्रकार से भी सहायक नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अब एकमात्र प्रश्न अभियुक्तों/अपीलार्थीगण पर अधिरोपित दण्ड की है। दाण्डिक अपील क्र. 1736/95 के अभियुक्तों/अपीलार्थीगण को धारा 498-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोष किया गया है और एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है, जबकि दाण्डिक अपील क्र. 1766/95 के अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 304-ख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है और दस वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है। चूंकि अभियुक्त/अपीलार्थी प्रहलाद पहले ही 11 महीने और 09 दिन कारावास में रह चुका है और अभियुक्त/अपीलार्थी गोदावरी बाई लगभग 10 महीने तक रह चुकी है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान में वे अपनी वृद्धावस्था में हो सकते हैं, उनके दण्ड को उनके द्वारा पहले से भुक्त

दण्डावधि तक कम किया जाता है। अपीलार्थी विजय के बारे में बताया गया है कि वह लगभग 01 वर्ष और 03 महीने कारावास में रह चुका है और इस प्रकार वह पहले ही उस पर अधिरोपित संपूर्ण दण्ड भुगत चुका है। मृतका की ननद अपीलार्थी निशा पवार पूरे समय अग्रिम जमानत पर थी। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वह एक विवाहित महिला है और अब तक 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी होगी, उसे 15 दिनों के सश्रम कारावास और 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डादिष्ट किया जाता है, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम में उसे 15 दिनों का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। उसे उस पर अधिरोपित दण्ड भोगने के लिए तत्काल कारावास भेजा जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थी रवींद्र राव भोंसले का संबंध है, अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह पुलिस विभाग का कर्मचारी था और इस प्रकार मृतका को उसकी पत्नी होने के नाते उसकी रक्षा करने के स्थान पर, उसे जलते हुए चूल्हे की ओर धकेल कर क्रूरता करने का उसका कृत्य, जिसके परिणामस्वरूप उसकी जान चली गई, किसी उदारता की अपेक्षा नहीं करता है। तदनुसार, धारा 304-ख भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसकी दोषसिद्धि और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर अधिरोपित दस वर्ष का सश्रम कारावास का परिणामी दण्ड, जो उचित और न्यायसंगत है, एतद्द्वारा यथावत

रखा जाता है। उसके जमानत पर होने की सूचना है। उसे उस पर अधिरोपित दण्ड भुगताने के लिए तत्काल कारावास भेजा जाए।

11. परिणामतः, दाण्डिक अपील क्र. 1736/1995 को उपर्युक्त सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। यद्यपि, दाण्डिक अपील क्र. 1766/1995 सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

हस्ता./

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Transalated by Ratna Sahu, Adv.